संख्या- 2212/2014/2212/9-6-2014-181मिस/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश लखनऊ
4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
उत्तर प्रदेश शासन (द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 10 नवम्बर 2014

विषयः नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने, नगर पालिका परिषद के गठन, नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किये जाने तथा नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु मानकों का निर्धारण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासानदेश संख्या 2896/नौ-8-2001-94ज/2001 दिनांक 01.08.2001 के द्वारा नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद एवं नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत करने अथवा निकायों की सीमावृद्धि करने के संबंध में तथा शासनादेश संख्या-यू0ओ0 123/11-6-86 दिनांक 06.12.1986 द्वारा नगर पालिकाओं के वर्गीकरण हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है।

2- शासानदेश संख्या 2896/नौ-8-2001-94ज/2001 दिनांक 01.08.2001 द्वारा नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों को उच्चीकृत किये जाने के संबंध में 14 मापदण्ड निर्धारित किये गये है तथा शासनादेश संख्या-यू0ओ0 123/11-6-86 दिनांक 06.12.86 द्वारा नगर पालिकाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने के मापदण्ड निर्धारित किये गये है। उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के निर्गत हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा इस अवधि में शहरीकरण की प्रवृत्ति तथा शहरों की ओर पलायन तथा निकायों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के कारण निकायों के दायित्वों में भी अभिवृद्धि हुई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः बदलते शहरी परिदृश्य, शहरी जनसंख्या में वृद्धि, निकायों पर बढ़ते दबाव आदि के परिप्रेक्ष्य में बेहतर नागरिक सुविधिए उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा शासनादेश संख्या 123/11-6-86 दिनांक 06.12.1986 को निरस्त करते हुए नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु निम्नांकित मापदण्ड किये जाते हैः-

(क) नगर पालिका परिषद का वर्गीकरणः- वर्तमान में विद्यमान नगर पालिका परिषदों के 4 श्रेणियों के स्थान पर नगर पालिका परिषद श्रेणी-3 एवं 4 को एकीकृत करते हुए नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित शर्ते निर्धारित की जाती हैः-

नगर पालिका परिषदों की श्रेणी	निकाय को वार्षिक आय	निकाय की जनसंख्या	निकाय की जनसंख्या का घनत्व(प्रति वर्ग कि.मी.)
तृतीय श्रेणी	रू 60 लाख से अधिक रू 1.75 करोड़ तक	1 लाख से अधिक तथा 1.50 लाख तक	6266
द्वितीय श्रेणी	1.75 करोड़ से अधिक रू 3.00 करोड़ तक	1.50 लाख से अधिक तथा 2 लाख तक	6266
प्रथम श्रेणी	रू 3.00 करोड़ से अधिक	2.00 लाख से अधिक तथा 05 लाख तक	6266

(ख) नवीन नगर पालिका परिषदों का गठन के मापदण्डः- नवीन नगर पालिका परिषद के गठन हेतु उपरोक्त प्रस्तर-3(क) में निर्धारित मानकों के अतिरिक्त निम्नलिखित मानकों को पूर्ण किया जाना आवश्यक हैः-

(1) प्रस्तावित क्षेत्र में 75 प्रतिशत या उससे अधिक व्यक्तियों का गैर कृषि कार्यो में नियोजित होना।
(2) प्रस्तावित क्षेत्र में सड़क यातायात का सुदृढ़ होना।
(3) प्रस्तावित क्षेत्र में शहरीकरण के गुण परिलक्षित होना, यथा-पुलिस थाना, व्यावसायिक केन्द्र, विद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थानों का स्तर, स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधिओं की स्थिति/अस्पताल, विद्युत व्यवस्था, विभिन्न बैंकों की शाखाओं का होना, डाकघर, सार्वजनिक शौचालय, परिवहन व्यवस्था आदि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए।

4- यदि उपरोक्त प्रस्तर-3(क)(ख) में उल्लिखित शर्तो/मापदण्डों को प्रस्तावित नगर पालिका परिषद के गठन के लिए पूर्ण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन के विचारर्थ उपलब्ध कराया जा सकता है।

(1) प्रस्तावित क्षेत्र की विगत जनगणना के ऑकड़ों अनुसार जनसंख्या।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रस्तावित क्षेत्र की विगत जनसंख्या के ऑकड़ो अनुसार जनसंख्या का घनत्व।
(3) नगर पालिका परिष्ज़द के सृजन के फलस्वरूप आय तथा व्यय में कितनी वृद्धि होगी।
(4) संबंधित क्षेत्र में विगत 03 वर्षे के आय तथा व्यय के ऑकड़ों का पूर्ण विवरण।
(5) प्रस्तावित क्षेत्र में कौन-कौन से शहरी गुण विद्यमान है।
(6) नगर पालिका परिषद के सृजन से उक्त क्षेत्र के निवासियों को कौन-कौन सुविधाएं प्राप्त होगी।
(7) प्रस्तावित नगर पालिका परिषद में कितना कृषि क्षेत्र पड़ता है।
(8) प्रस्तावित क्षेत्र की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोगों का जीवन-यापन कृषि पर आधारित है तथा कितने प्रतिशत अन्य व्यवसाय के लोग है।
(9) प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाली लोक निहित सम्पति की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
(10) प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाली लोक निहित सम्पति की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
(11) प्रस्तावित नगर पालिका परिषद क्षेत्र का एक सम्यक् मानचित्र, जिसमें सम्मिलित होने वाले ग्रामों/मजरों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो तथा लाल रेखा से सीमा प्रदर्शित करते हुए सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुई गाटा संख्याओं को भी अंकित किया जाय।
(12) मानचित्र के अनुरूप से सीमा निर्धारण हेतु सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुई गाटा संख्याओं का दिशावार विवरण (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) सीमा विवरण में दिशा बार गाटा संख्याओं के समक्ष उनसे संबंधित ग्राम/मजरा के नाम का भी उल्लेख किया जाय।

5– उक्त के साथ ही शासनादेश संख्या– 2896/नौ–8–2001–94ज/2001, दिनांक 01.08.2001 को निरस्त करते हुए नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकरण तथा नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:–

नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकरण तथा नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार हेतु मापदण्ड:– नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकरण तथा नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार के लिये प्रस्तर–3 व 4 में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. नाम- उच्चीकरण/सीमा विस्तार किये जाने वाले सम्बन्धित निकाय का नाम ।
2. उद्देश्य-उच्चीकरण/सीमा विस्तार किये जाने का उद्देश्य ।
3. सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र-कृषि क्षेत्र है अथवा अकृषि क्षेत्र।
4. सम्मिलित किये जाने वाला क्षेत्र (क) आबादी वाला है अथवा गैर आबादी वाला तथा (ख) उसका क्षेत्रफल कितना है ।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की शहरीकरण की प्रवृत्ति/लक्षण उत्पन्न हो गये हैं अथवा नहीं।
6. वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार- (क) वर्तमान क्षेत्र की आबादी (ख) प्रस्तावित क्षेत्र की आबादी (ग) प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व का विवरण।
7. सीमा वृद्धि/उच्चीकरण किये जाने से निकाय की वार्षिक आय में संभावित वृद्धि।
8. सीमा वृद्धि/उच्चीकरण किये जाने से निकाय की वार्षिक व्यय में संभावित वृद्धि।
9. सीमा/सीमा वृद्धि को प्रदर्शित करने वाली सूची (हिन्दी व अंग्रेजी तीन प्रतियों में संलग्न की जाय) (इस प्रकार परिभाषित की जाय कि सीमा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद की वर्तमान सीमा के किस बिन्दु से प्रारम्भ हो कर किधर-किधर जाती हुई मुड़ती हुई सीमा से लगे किन किन खसरा नंम्बरों को सीमा में मिलाती हुई पुनः नगर पंचायत /नगर पालिका परिषद की सीमा में कहाँ पर मिलेगी) (प्रत्येक दिशा की सीमा उपरोक्तानुसार परिभाषित की जाय तथा जिस दिशा की सीमा परिभाषित की जाय उसके नीचे टिप्पणी में यह बताया जाय कि उपर्युक्त परिभाषित सीमा के अन्दर कौन कौन से गाँव व उन गॉव के कौन-कौन से खसरा नम्बर शामिल हैं। खसरा नम्बरों को क्रमवार बताया जाय)
10. प्रस्तावित क्षेत्र में यदि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है तो निकाय द्वारा उसके दायित्व के निर्वहन करने की वचनबद्धता ।
11. विस्तारित / उच्चीकृत किये जाने वाले क्षेत्र का मानचित्र (वर्तमान व प्रस्तावित क्षेत्र को अलग- अलग रंगों में दर्शाया जाय ।
12. नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद् में उच्चीकरण तथा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने हेतु निकाय के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव तथा जिलाधिकारी की संस्तुति।

6- अतः उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि मापदण्डों के अनुसार समस्त औपचारकिताएं पूर्ण कराते हुए परिपक्व प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या 2212(1)/9-6-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री , नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश।
4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- नगर विकास अनुभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल।
8- कम्प्यूटर सेल, नगर विकास को वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौधरी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।